कक्षा 10 (माध्यमिक) परीक्षा, 2012 के लिए आवश्यक निर्देश

1. विवरणिका के इस भाग में कक्षा 10 (माध्यमिक) परीक्षा, 2012 का पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें, जो शैक्षणिक सत्र 2011–2012 के लिये हैं, दी गई हैं।
2. कक्षा 10 (माध्यमिक) परीक्षा के लिये निर्धारित अवधि एक वर्ष है।
3. माध्यमिक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना आदि सम्बन्धित विनियमों में दिए गए अनुसार होंगी।
4. विषयों के शिक्षणार्थ प्रति सप्ताह निर्धारित कालांश :

क्र.सं.	विषय		कालांश : 48
1.	भाषाएँ :		17
	(1) हिन्दी	6	
	(2) अंग्रेजी	6	
	(3) तृतीय भाषा	5	
2.	विज्ञान		8
3.	सामाजिक विज्ञान		8
4.	गणित		8
5.	राजस्थान अध्ययन		2
6.	शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा (खेल प्रवृत्तियां '0' कालांश)		2
7.	'फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी'		2
8.	(1) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा		1+'0'
	(2) कला शिक्षा		(कालांश)
9.	नैतिक शिक्षा : प्रार्थना के साथ तथा अन्य सभी विषयों के अध्ययन के साथ समाहित		
10.	पुस्तकालय : पुस्तकालय से पुस्तकों का आदान–प्रदान '0' कालांश/मध्य अन्तराल में		

नोट : 1. ऐसे विद्यालय जहाँ कम्प्यूटर लेब की सुविधा नहीं है, वहाँ के संस्था प्रधान, पाठ्यक्रम एवं शाला की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार 'फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी' के लिए निर्धारित कालांशों का समायोजन अन्य विषयों के शिक्षण में कर सकते हैं।

2. इस विवरणिका में माध्यमिक परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विनियम ही दिये हुए हैं। बोर्ड/अध्यक्ष के निर्णयानुसार ये विनियम समय–समय पर संशोधनीय हैं।

माध्यमिक परीक्षा, 2012 के लिए परीक्षा योजना

	विषय (कोड संख्या)	प्रश्न पत्र	समय(घंटे)	पत्र/प्रायो.	सत्रांक	सत्रांक का विभाजन				पूर्णांक	न्यूनतम उत्तीर्णांक
						स्थानीय	प्रोजेक्ट	उपस्थिति	व्यवहार		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	भाषायें:										
	(1) हिन्दी	एक पत्र	3.15	80	20	10	5	3	2	100	33
	(2) अंग्रेजी	एक पत्र	3.15	80	20	10	5	3	2	100	33
	(3) तृतीय भाषा: (कोई एक) संस्कृत/गुजराती/उर्दू सिन्धी/पंजाबी मलयालम/तमिल	एक पत्र	3.15	80	20	10	5	3	2	100	33
2.	विज्ञान	एक पत्र	3.15	80	20	10	5	3	2	100	33
3.	सामाजिक विज्ञान	एक पत्र	3.15	80	20	10	5	3	2	100	33
4.	गणित	एक पत्र	3.15	80	20	10	5	3	2	100	33
5.	* राजस्थान अध्ययन	एक पत्र	3.15	80	20	–	20	अंक तालिका में ग्रेड			
6.	शारीरिक एवं	एक पत्र	3.15	70	मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर एवं प्राप्तांक को अंक तालिका में दर्शाया जायेगा।						
	स्वास्थ्य शिक्षा	प्रायोगिक	0.30	30							
7.	फाउण्डेशन ऑफ	एक पत्र	3.15	70							
	इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी	प्रायोगिक	2.00	30							
8.	(i) समाजोपयोगी उत्पा. कार्य एवं समाज सेवा (S.U.P.W.& C.S.) (ii) कला शिक्षा	100 अंकों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर ——— '' ——— '' ———				(i) इन विषयों का अंक तालिका में ग्रेडिंग का अंकन होगा। (ii) नियमित छात्रों के लिए अनिवार्य अर्हता कार्य पूर्ण करने का प्रमाण–पत्र उपस्थिति पत्र के साथ ही शाला प्रधान द्वारा बोर्ड कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक है।					

नोटः

1. सत्रांक एवं सत्रीय कार्य के अंक विद्यालयों द्वारा बोर्ड को विषयवार प्रेषित किये जायेंगे।
2. सत्रांक लिखित परीक्षा के पूर्णाक के 20% होगें जिसके अन्तर्गत नियमित अभ्यर्थियों के लिये विद्यालय द्वारा ली गई अर्द्धवार्षिक एवं तीन सामयिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के 10% अंक होंगे, 5% प्रोजेक्ट कार्य, 5% उपस्थिति एवं छात्र व्यवहार के होंगे। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये सत्रांक हेतु विषयवार प्राप्तांक को पूर्णांकों के अनुपात में करके जोड़ा जायेगा।
   (i) 3% अंक विद्यार्थियों की उपस्थिति पर निम्नानुसार दिये जा सकेंगेः–
   75% से 80% तक उपस्थिति होने पर 1%
   (ii) 2% अंक कक्षा में सहभागिता, व्यवहार एवं अनुशासन पर देय होंगे।
   81% से 85% तक उपस्थिति होने पर 2%
   86% से 100% तक उपस्थिति होने पर 3%
   (iii) सत्रांक के प्राप्तांक भिन्न में होने पर अगले पूर्णांक में परिवर्तित करें।
   (iv) संत्राकों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को आगामी शैक्षिक सत्र में आयोजित बोर्ड की मुख्य परीक्षा तक विद्यालय द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा, जिनका निरीक्षण बोर्ड एवं विभागीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण सत्राावधि में सत्रांकों के आवंटन एवं अभिलेखों के संधारण की जांच की जा सकती है।
3. स्वयंपाठी अभ्यर्थी S.U.P.W. & C.S. कला शिक्षा, शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा, राजस्थान अध्ययन तथा फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी विषयों से मुक्त रहेंगे।
4. शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा में अर्द्धवार्षिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर पूर्णाक 100 में से विद्यालय बोर्ड को प्राप्तांक प्रेषित करेंगे। इन अंको का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत अंकतालिका में कर दिया जावेगा। इस विषय में प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।
5. (i) फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी हेतु राज्य सरकार/माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों का अवलोकन करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें।
   (ii) फाउण्डेशन ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा, पूर्णाक 100 में से प्राप्तांक विद्यालय बोर्ड को प्रेषित करेगा इन अंकों का उल्लेख बोर्ड द्वारा प्रदत अंक तालिका में कर दिया जायेगा। इस विषय के प्राप्तांक श्रेणी निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।

*6. राजस्थान अध्ययन का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। इस विषय के प्राप्तांकों को ग्रेड में परिवर्तित कर बोर्ड को प्रेषित करेंगे । विद्यालयों द्वारा प्रेषित ग्रेड को अंकतालिका में दर्शाया जायेगा। स्वयंपाठी परीक्षार्थी इस विषय से मुक्त रहेंगे। इस विषय में 20 अंक प्रोजेक्ट के लिए निर्धारित किये गये है

7. मूक बधिर छात्रों के लिए माध्यमिक परीक्षा (बोर्ड विनियम अध्याय 18) के ध्यातव्य का अवलोकन करें।